तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/24	पत्रावली पेश। पूर्व आदेशानुसार कार्यवाही। पालना हेतु पत्रावली दिनांकः— 27-1-25 को पेश हो।	
27/1/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस आदेश दिनांक 27/2/25 को पत्रावली पेश हो।	
27/2/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 21/4/25 को पेश हो।	
21/4/25	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 30/04/25 को पेश हो।	
30/4/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2, 3 व 5 में अंकित भूमियॉ प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है। चरण संख्या 4 में अंकित भूमि कजोड पुत्र कंवरा गंगाराम पुत्र केला, सुखा पुत्र केला के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त चरण संख्या 2 से 5 में अंकित भूमियों पर सभी सहखातेदार काबिज काश्त है। भूमियों का बंटवारा नहीं होने से संयुक्त रूप से अपने-अपने हिस्सों पर काश्त कर रहे है। चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि मूल पुरूष केला के नाम खातेदारी भूमि थी, जिनकी मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि विरासत से तीनों पुत्रों गंगाराम, कंवरा व सुखा को प्राप्त हुई। प्रत्येक पुत्र का 1/3-1/3 हिस्सा कानूनन बनता है। परन्तु संहवन से उक्त भूमि गंगाराम व कंवरा के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त राजस्व अंकन को दुरूस्त करवाकर	उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण स्वयं को 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है। चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थी सुवा के पिता का नाम दर्ज नहीं है उक्त भूमि कैलाशी की होने से प्रार्थी इस भूमि में भी 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। चरण संख्या 3 वर्णित भूमि प्रार्थी के पिता का नाम केल्या गलत दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/3–1/3 हिस्सा व अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 का 1/3 हिस्सा है, जिसे दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। चरण संख्या 4 में अंकित भूमि में प्रार्थीगण की जाति व हिस्सा गलत होने से उसे भी दुरूस्त करवाने का प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 5 में वर्णित भूमियों पर में प्रार्थी सुवा व प्रार्थी के पिता सुखा का नाम दर्ज नहीं होने से, रह जाने से अप्रार्थीगण इसका अनुचित फायदा उठाकर भूमियों को रहन बेचान करने पर आमादा है। उनकों पाबंद किया जावे। हमने बहस वकील प्रार्थीगण के प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के पूर्वज केला के नाम दर्ज होकर उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है, जिनमें प्रार्थना पत्र में अंकित भूमियों में प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 के पिता नाम नामान्तकरण दर्ज करते समय छूट जाने से विवादित भूमियों में उनका नाम व हिस्सा गलत दर्ज हो गया है। जिस कारण अप्रार्थीगण अपने नाम भूमियॉ दर्ज होने से रहन बय कर प्रार्थीगण को क्षति पहुंचाने पर आमादा है। विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के पूर्वजों की पैतृक भूमियॉ होने से उनमें स्वयं का हक व अधिकार निहित होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हित में बनता है। प्रार्थीगण के नाम संहवन से भूमियॉ हिस्से में दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण द्वारा रहन बेचान करने पर आमादा होने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली	

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादति भूमि खाता संख्या 116 खसरा संख्या 396, 398, 399 व खाता संख्या 12 के खसरा संख्या 264, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 402 व खाता संख्या 204 खसरा संख्या 555/850 एवं खाता संख्या 13 खसरा संख्या 394 वाके ग्राम सिंघाडी पटवार मण्डल सहसपुरिया में निहित प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियों पर कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें, चाह से सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न नहीं करें, बेदखल नहीं करें, रहन बेचान नही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	